राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांकः– एफ 4 (हे) द्वितीय एसीपी 90/अले–III/4636-4661 दिनांकः– 27/8/2012

आदेश संख्या/59/2012-13

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ 11 (7) वित्त (नियम) पार्ट– 1/2008 दिनांक 06-10-2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) वेतन श्रृंखला पीबी–2 (9300-34800) ग्रेड पे 4200/– में स्वीकृत की जाती है :–

क्र. स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	मेरिट संख्या/ बैच संख्या	कनिष्ठ लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	
1.	बाबूलाल सुन्देशा	222/90	05.08.1993	05.08.2012	परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किए जाने के कारण द्वितीय ए.सीपी. एक वर्ष पश्चात् स्वीकृत
2.	कृष्णचन्द्र पारीक	261/90	27.08.1993	27.08.2011	
3.	मनोहर लाल वर्मा	337/90	26.07.1993	26.07.2012	परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किए जाने के कारण द्वितीय ए.सीपी. एक वर्ष पश्चात् स्वीकृत
4.	रामावतार बैरवा	382/90	26.07.1993	26.07.2011	
5.	अनिल स्वरूप	402/90	27.09.1993	27.09.2011	
6.	विमलचन्द सोनी	479/90	03.01.1994	03.01.2012	
7.	देवेन्द्र कुमार गुप्ता	489/90	03.01.1994	03.01.2012	
8.	दिनेश कुमार अग्रवाल	671/90	01.07.1994 (AN)	02.07.2012	
9.	रामचन्द लेखवानी	DG8/90	03.03.1994	03.03.2012	
10.	मनोज भट्ट	DG9/90	29.03.1994	29.03.2012	
11.	श्रीमती संगीता राठौड़	DG3/90	10.06.1994	10.06.2012	

क्रमशः 2

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प0 14 (88) वित्त/नियम /2008 दिनांक 31-12-2009 में दी हुई शर्तों के संबध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रम संख्या 1, 3, 4, 7, 9 एवं 11 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12-09-08 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यकरूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।

निदेशक

क्रमांक– एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 90/अलेसे–III/4636–4661 दिनांक–27/8/2012

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ....
   ....
2. श्री .... कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय ....
   ....
3. निजी सहायक निदेशक, महोदया।
4. संयुक्त निदेशक (कार्मिक–I) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. कम्प्यूटर (वेबसाईट हेतु) शाखा।
6. निजी/गार्ड फाईल।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II)